ओआरजी-2023-24-000039/1
05.11.2024

परिशिष्ट सार्वजनिक सूचना सं. ओआरजी -2023-24-000039 दिनांक 04.10.2024

यह परिशिष्ट राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) , 2024 (आठवां संस्करण) के अंतिम मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियों की मांग वाले **सार्वजनिक सूचना सं. ओआरजी-2023-24-000039 दिनांक 04.10.2024** के संदर्भ में है।

भारत के एनपीओपी को अप्रसंस्कृत पादप उत्पादों के लिए विनियमन (ईसी) सं. 834/2007 के अंतर्गत यूरोपीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा रेगुलेशन (ईयू) 2018/848 के 22.02.2021 के कमीशन इम्प्लिमेंटिंग रेगुलेशन (ईयू) 2021/279 के आर्टिकल 7 के अनुसार, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी), 2024 (आठवां संस्करण) के मसौदे में निम्नलिखित प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

4.4.1.3: विश्लेषण और अपशिष्ट परीक्षण:

(iii) *प्रमाणन निकाय जैविक प्रक्रियाओं में अनधिकृत पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सैंपल लेगा और उनका विश्लेषण करेगा। प्रमाणन निकाय द्वारा प्रत्येक वर्ष लिए जाने वाले और विश्लेषण किए जाने वाले सैंपल की संख्या उसके नियंत्रण में कुल ऑपरेटरों की संख्या का कम से कम 5% होगी।* ***इसके अतिरिक्त, जैविक प्रक्रिया में अनधिकृत पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए प्रत्येक उत्पादक समूह के कम से कम 2% किसानों के सैंपल का भी विश्लेषण किया जाएगा।***

इस पर टिप्पणियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, तो इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर अर्थात 12 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत किए जाएं।

महाप्रबंधक (जैविक)

एपीडा, नई दिल्ली